तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
8/12/21	पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत केम्प कोर्ट सहण में आज पेश हुई। पक्षकारान के नोटिस बाद तामील संलग्न है। रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी कैलाश बाई पत्नी रामकिशन व रामकिशन, रामकुंवार धाकड़ नि० शिवपुरा प्रार्थना पत्र संख्या 162/प्रा०/2020 दोनो प्रार्थी पति-पत्नी होने से चाहा गया रास्ता की मौका रिपोर्ट दावा सं. 136/दावा/2018 मे प्रस्तावित कर दी गई है। हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज तथा तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट का अवलोकन किया। बहस उपस्थित पक्षकारान सुनी गई। तहसीलदार रिपोर्ट से स्पष्ट है कि इस प्रार्थना पत्र में रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही शेष नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बूंदी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:58:05 IST
Reason: SelfAttested